



# उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड हल्द्वानी – 263139 (नैनीताल)

फोन नं० : 05946-240555,240666,240777  
Mail-highereducation.director@gmail.com

शासनादेश संख्या 2209/XXIV(4)/2017-01(14)/2016 दिनांक 23 अक्टूबर 2017 के अनुपालन में नितान्त अस्थायी एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत योग्य अभ्यर्थी रखे जाने हेतु प्राचार्यों को सामान्य निर्देश -

1. समस्त प्रक्रिया एवं शर्तें शासनादेश संख्या 2209/XXIV(4)/2017-01(14)/2016 दिनांक 23 अक्टूबर 2017 के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
2. नितान्त अस्थायी एवं काम चलाऊ शिक्षण व्यवस्था हेतु आमंत्रण का अधिकार प्राचार्य को है।
3. नितान्त अस्थायी एवं काम चलाऊ शिक्षण व्यवस्था हेतु मानदेय पर आमंत्रण महाविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कार्य हेतु किया जायेगा।
4. महाविद्यालय स्तर पर काम चलाऊ व्यवस्था हेतु विषयवार शिक्षकों की संख्या की वास्तविक गणना करते हुए विज्ञापन निर्गत किया जाना होगा।
5. लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक अथवा दिनांक 28 फरवरी 2018 तक जो भी पहले हो जैसा कि शासनादेश संख्या 2209/XXIV(4)/2017-01(14)/2016 दिनांक 23 अक्टूबर 2017 में स्पष्ट किया गया है, काम चलाऊ व्यवस्था हेतु आमंत्रण दिया जायेगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2016 के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। सुलभ सन्दर्भ हेतु यू0जी0सी0 विनियम 2016 यू0जी0सी0/निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
7. प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अक्टूबर 2017 तक विज्ञापन का प्रकाशन दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना होगा।
8. आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में समस्त अभिलेखों सहित दिनांक 01.11.2017 से दिनांक 07.11.2017 तक प्राप्त कर लिये जायें, मैरिट के आधार पर दिनांक 10 नवम्बर 2017 तक चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय।
9. महाविद्यालय स्तर से चयनित अभ्यर्थी द्वारा आमंत्रण स्वीकार न किये जाने पर वरीयता क्रम में अगले अभ्यर्थी को प्राचार्य स्तर से आमंत्रित कर लिया जायेगा।

*Chil*

## अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश

1. उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2017-18 में नितान्त अस्थायी एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 16/XXIV(6)/2017-240/2013 दिनांक 03 जनवरी 2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने अथवा 28 फरवरी 2018 तक जो भी पहले हो, प्रतिवादन रु० 500/- एक दिन में अधिकतम दो वादन के आधार पर शिक्षण कार्य हेतु रखा जायेगा।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2016 के अनुसार अर्हता धारक ही आवेदन के लिए पात्र होंगे।
3. मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को प्राचार्य द्वारा आमंत्रित किया जायेगा।
4. शिक्षण कार्य हेतु चयनित अभ्यर्थी को रु० 500/- मात्र प्रतिवादन तथा एक दिन में अधिकतम दो वादन की दर से तथा एक माह में कुल रु० 25000/- से अधिक का भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. आमंत्रित अतिथि शिक्षक को नियमित पदों के सापेक्ष रखे जाने का कोई भी दावा अस्वीकार्य होगा व लोक सेवा आयोग से चल रही नियमित भर्ती प्रक्रिया में यदि उनके द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया है तो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उक्त पदों के साक्षात्कार में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की भौति 10 प्रतिशत का वरीयता अधिमान का दावा अस्वीकार्य होगा।
6. अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि वह यू०जी०सी० विनियम 2016 के अनुसार पात्र हैं अथवा नहीं (इस हेतु यू०जी०सी० विनियम 2016 यू०जी०सी०/निदेशालय की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है)।
7. सभी अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर ही अपने आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों के साथ दिनांक 07.11.2017 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्धारित प्रारूप एवं समयान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट के आधार पर योग्यतम अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जायेगा।
9. आमंत्रण मिलने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को अगले कार्य दिवस पर शिक्षण कार्य हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को आमंत्रित कर लिया जायेगा।

०७/१२

विज्ञापन के प्रारूप का नमूना  
राजकीय महाविद्यालय.....शिक्षण कार्य हेतु अभ्यर्थियों से आमंत्रण

राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय(महाविद्यालय का नाम).....  
नगर(जिला) विषय(पदों की संख्या).....शिक्षण सत्र 2017-18 में शिक्षण  
कार्य हेतु नितान्त अस्थायी एवं काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत यू0जी0सी0 विनियम  
2016 के अनुसार अर्हताधारी अभ्यर्थियों से प्रतिवादन मानदेय के आधार पर निर्धारित  
प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि  
07 नवम्बर 2017 है। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत सूचना एवं निर्देश महाविद्यालय के सूचना  
पट/वेबसाइट से प्राप्त कर लें।

*di an*

प्राचार्य,  
महाविद्यालय का नाम

प्रारूप

हासनादेश संख्या 2209/XXIV(4)/2017-01(14)/2016 दिनांक 23 अक्टूबर 2017 के अनुपालन में नितान्त अस्थायी एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप

1. अभ्यर्थी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. विषय जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है : पासपोर्ट आकार का फोटो
4. स्थायी पता -
5. जन्म तिथि (हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

6. पत्र व्यवहार का पता

ई-मेल-

मोबाईल नम्बर-

7. वैवाहिक स्तर

आधार कार्ड संख्या -

8. शैक्षिक योग्यता का विवरण

(आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)

परीक्षा का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड/वि०वि० का नाम
हाई स्कूल					
इंटरमीडिएट					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					
पीएचडी					
नेट/यूजैट करने का वर्ष					
शिक्षण/शोध कार्य का अनुभव (विवरण)					

शैक्षिक योग्यताओं/अनुभव की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। किसी तथ्य को छिपाये जाने या असत्य पाये जाने पर पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।



अभ्यर्थी के हस्ताक्षर-

नाम-

दिनांक -